न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.**

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 67/2019

प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक : 28/06/2019

निर्णय दिनांक : 10/03/2021

मूला पुत्र बन्ना, उम्र 55 साल, जाति जाट, निवासी पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— प्रार्थी

बनाम

1. रामलाल
2. धन्ना
3. मनोहर

पुत्रान बिरधा, जातियान बलाई, निवासीगण ग्राम पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

4. श्रवण
5. बिरधा
6. हनुमान

पुत्रान बालू, जातियान बलाई, निवासीगण ग्राम पालूकलां तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

7. राजेन्द्रप्रसाद
8. रामनिवास
9. रामपाल
10. भागचन्द

पुत्रान कल्याण, जातियान बलाई, निवासीगण पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।

11. विमला पुत्री कल्याण पत्नी दीपचन्द उर्फ खेतू, जाति बलाई, निवासी पालूकलां, हाल निवासी ग्राम बिचून, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।
12. झमकू पत्नी कल्याण, जाति बलाई, निवासी पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
13. गणपतसिंह
14. किरण सिंह
15. सुरजीत सिंह

पुत्रान देवी सिंह, जाति राजपूत, निवासीगण ग्राम पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

16. नाथू सिंह पुत्र गंगा सिंह, जाति राजपूत, निवासी पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

17. महेन्द्र सिंह पुत्र गंगा सिंह, जाति राजपूत, निवासी पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

18. शाखा प्रबन्धक महोदय, एचडीएफसी बैंक शाखा बगरू, जिला जयपुर, राज0।

19. शाखा प्रबन्धक महोदय, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा बगरू, जिला जयपुर, राज0।

20. सबरजिस्ट्रार मौजमाबाद, जिला जयपुर राज0।

21. तहसीलदार, मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – *श्री ताज मौहम्मद*
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी

अप्रार्थी संख्या 1 ल. 17 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही।

अप्रार्थी संख्या 18, 19 फोरमल पक्षकार है एवं
अप्रार्थी संख्या 20, 21 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

निर्णय दिनांक 10/03/2021

– निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि जमाबन्दी सम्वत 2051–2054 के आराजी खतौनी संख्या 190 के आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पालूकलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर में स्थित है, जिसमें प्रार्थी हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 संयुक्त रूप से हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 12 संयुक्त रूप से हिस्सा 1/4, अप्रार्थी संख्या 13 लगायत 15 संयुक्त रूप से हिस्सा 1/8, अप्रार्थी संख्या 16 व 17 संयुक्त रूप से हिस्सा 1/8 के अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं लगान अपने–अपने हिस्से अनुसार सरकारी अदा करते आ रहे हैं। उपरोक्त विवादित आराजीयात प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 की उपरोक्त वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में अविभाजित आराजीयात है लेकिन मौके पर आज से काफी वर्षो पूर्व ही उक्त आराजीयात का प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 ने बाहमी बंटवारा कर लिया है जिसके अनुसार वाद–पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित प्रार्थी हरे रंग पर, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 लाल रंग पर, अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 12 नीला रंग पर, अप्रार्थी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) दूदू

संख्या 13 लगायत 15 पीला रंग पर एवं अप्रार्थी संख्या 16, 17 बेंगनी रंग से दर्शित आराजीयात पर काबिज काश्त हैं। इसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 मौके पर अब तक शान्तिपूर्वक काबिज काश्त थे, परन्तु विधिक बंटवारा नही होने से आये दिन मेर कोर को लेकर विवाद रहने लग गया है। विवादित आराजीयात में प्रार्थी ने अपने हिस्से को काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 प्रार्थी से द्वेषता रखने लगे एवं ऐनकेन प्रकारेण प्रार्थी को अपने हिस्से की उन्नत व कब्जे काश्त की आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 20/06/2019 को प्रार्थी अपनी आराजीयात की सार–संभाल करने गया, तब अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 को विवादित आराजी में प्रार्थी के उन्नत हिस्से की आराजीयात दीगर व्यक्तियों को बता रहे थे, जब प्रार्थी ने इसका कारण पूछा तो अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 ने प्रार्थी को धमकी दी कि उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अविभाजित है, जिससे हम तुझे उक्त विवादित आराजीयात से तुम्हारे उपजाउ हिस्से से बेदखल कर हम जबरन कब्जा करेंगे तथा विवादित आराजीयात का दीगर व्यक्तियों को बिना विभाजन ही बेचान किया जावेगा, जिससे प्रार्थीया को यह प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं। प्रार्थी एंव अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 17 के मध्य विवादित आराजीयात का मौके पर काबिज अनुसार अर्थात संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित अनुसार तकासमा किया जाकर लगान की फेटबन्दी किया जाना एंव अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित हैं।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि ''अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 2 की आराजीयात में प्रार्थीया के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी न स्वंय करें, न अन्य से करावें न आराजी का बिना तकासमा किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेय, मुन्तकिल, विक्रयादि करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। इस हेतु तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार मौजमाबाद जिला जयपुर को लिखा जावें।''

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 17 बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक), ...

उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 18, 19 फोरमल पक्षकार हैं। प्रतिवादी संख्या 20, 21 की ओर से पैरोकार उपस्थित होकर जवाब पेश नही करना जाहिर किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी साक्ष्य पेश न कर सीधी बहस करना जाहिर किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस मूल प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा व उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस एवं नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या केस</u>– प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 पेश की गयी है, उसके अनुसार खाता संख्या 190 के प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ल. 17 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा विवादित आराजीयात पक्षकारान की कानूनी रूप से अविभाजित आराजीयात हैं, अप्रार्थीगण बावजूद तामिल माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही आये है, चूंकि प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से पक्षकारान के मध्य विवाद मात्र् आराजीयात के कानूनी रूप से विभाजन को लेकर प्रतीत होता हैं चूंकि विभाजन के प्रश्न का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा। विवादित आराजीयात पक्षकारान की कानूनी रूप से अविभाजित आराजीयात हैं, चूंकि पक्षकारान के मध्य अभी आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन नही हो रखा है, इसलिये कानूनन जब तक विवादित आराजीयात का विधिवत रूप से तकासमा नही हो जाता तब तक विवादित आराजीयात में प्रत्येक इंच पर सभी सहखातेदारान का हक व हिस्सा निहित होता है, इसलिये जब तक विभाजन नही हो जाता कानूनन अप्रार्थी संख्या 1 ल. 17 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित होगा, क्योंकि दौरान वाद अप्रार्थी संख्या 1 ल. 17 जो कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड सहखातेदार है, उनके द्वारा यदि आराजी का बैचान किया जाता है या प्रार्थी को बेदखल किया जाता है, तो प्रकरण में बेवजह पेचीदगीयां बढेगी, इसलिये अप्रार्थी संख्या 1 ल. 17 को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) मूण्डवा

प्रकार प्रकरण के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थी के पक्ष में प्रबल साबित होता हैं।

सुविधा का सन्तुलन – यह कि चूंकि पक्षकारान विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से पक्षकारान के मध्य विवाद विवादित आराजीयात का कानूनी रूप से विभाजन नही होना प्रतीत होता हैं चूंकि विभाजन के प्रश्न का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा, लेकिन तब तक यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नही किया गया तो वे आराजीयात को खुर्दबुर्द कर सकते है, जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी एवं प्रकरण में भी बेवजह पेचीदगीयां बढेगी, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होगा। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

अपूर्तनीय क्षति – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में बनना पाये जाते है, यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति कारित होगी, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पायी जाती हैं।

इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है, जिसको प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना उचित समझता हैं।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खाता संख्या 190 के आराजी खसरा नम्बर 195 रकबा 10 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम पालूकलां, तहसील मौजमाबाद को रहन, बेय, मुन्तकिल नही करें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 10/03/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
दूदू (जयपुर)